

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-88/2019 | 880

/पटना, दिनांक- 24/6/19

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0

अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL. No.	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Siwan-1	बडहरिया	हरदिया से सुन्दरपुर	5.500	139.77	47.765	13.977	201.512
2	Siwan-1	बडहरिया	मधोपुर से सुरहिया	3.400	62.06	31.632	6.206	99.898
3	Siwan-1	सीवान	सीवान हसुआ पथ से मुसा पथ	5.400	135.255	46.805	13.5255	195.586
4	Siwan-1	सीवान	बरहन बाजार से बरहनी बाजार	3.200	86.772	30.325	8.6772	125.774
5	Siwan-1	सीवान	सीवान मैरवा बी०टी० पथ से नौवापाली	3.600	83.46	27.9	8.346	119.706
6	Siwan-1	सीवान	सीवान हसुआ पी०डब्ल्यू०डी० पथ से बढैया	3.000	79.701	27.929	7.9701	115.600
7	Siwan-1	सीवान	सरसर से सियाडी बाया विशुनपुरावा पथ	5.500	145.86	51.788	14.586	212.234
8	Siwan-1	सीवान	सीवान हसुआ पी०डब्ल्यू०डी० पथ से हसनपुरवा	2.350	57.958	20.378	5.7958	84.132
9	Siwan-1	सीवान	घनौती से मझवलिवा (मोजाहीदपुर)	2.450	62.434	22.364	6.2434	91.041
10	Siwan-1	पचरुखी	निजामपुर से जसौली	6.300	164.275	60.972	16.4275	241.675

88

11	Siwan-1	पचरुखी	रसुलपुर से आकोपु	1.080	26.492	10.204	2.6492	39.345
12	Siwan-1	पचरुखी	अतरसुआ से कल्याणपुर	3.000	89.841	28.703	8.9841	127.528
13	Siwan-1	पचरुखी	निजामपुर से डिहिया	3.180	77.729	27.414	7.7729	112.916
14	Siwan-1	पचरुखी	सहलौरा (एसओएचओ) से चौमुखा आरओसीओडीओ पथ त	4.800	113.219	40.003	11.3219	164.544
15	Siwan-1	पचरुखी	रसुलपुर से कोहरीता	2.550	65.458	21.014	6.5458	93.018
16	Siwan-1	पचरुखी	मोहम्मदपुर से पोखरेरा	2.350	59.151	21.018	5.9151	86.084
17	Siwan-1	पचरुखी	तरवारा मेन पथ (एसओएचओ47) से कैथी तक	3.230	80.77	30.616	8.077	119.463
18	Siwan-1	पचरुखी	नयनपुरा से नौरंगा	2.950	73.95	26.931	7.395	108.276
19	Siwan-1	पचरुखी	सीवान नगर से छुडदौर रोड एवं सीवान लकडी दरगाह रोड पर महादेवा ओपी के आगे से निकल कर बडहरिया रोड तक पथ	1.150	32.084	11.466	3.2084	46.758
20	Siwan-1	पचरुखी	एसओएचओ47 बडहरिया सरफरा बालकिशुन के घर से हुनमान मोड उखई होतु हुये पिपरा तक	12.800	261.898	121.472	26.1898	409.560
21	Siwan-1	पचरुखी	फलपुरा से परौली	3.500	113.039	28.665	11.3039	153.008
22	Siwan-1	रघुनाथपुर	दुआ से बसंतपुर वाया लौकीपुर	3.500	90.875	31.358	9.0875	131.321
23	Siwan-1	रघुनाथपुर	खुजवा से अदमापुर वाया संडी	3.000	76.312	28.41	7.6312	112.353
24	Siwan-1	रघुनाथपुर	टारी से उत्तरी	12.100	301.686	114.062	30.1686	445.917
25	Siwan-1	रघुनाथपुर	पीओडब्ल्यूडीओ पथ से उगो वाया कुसहरा	3.200	83.868	29.966	8.3868	122.221
26	Siwan-1	सिसवन	म्यासपुर से बघीन	3.900	101.037	34.22	10.1037	145.361
27	Siwan-1	सिसवन	रामगढ से नगई मोबरकपुर	2.600	53.777	23.604	5.3777	82.759
				109.8	2718.731	996.984	271.8731	3987.5881

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, सिवान-1 योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-03.06.2019 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-88/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054 04-88/2019 के पृ०-६६/टि० पर दिनांक- 12/6/19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

मु०० सचिव
अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-88/2019 1880/पटना, दिनांक-24/6/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-88/2019 1880/पटना, दिनांक-24/6/19
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, सिवान /उप विकास आयुक्त, सिवान अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सिवान-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव